न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म०प्र०)

रामनरेश मिश्रा पिता श्री रामसजीवन मिश्रा निवासी ग्राम-ककलपुर, तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना (म0प्र0)

.... अपीलार्थी

III/अपील/सतना/भू०रा०/2017/3022

बनाम

1. उमाकान्त पिता श्री रामाधार मिश्रा निवासी ग्राम-ककलपुर, तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना (म0प्र0)
2. बेवा सुनीता पत्नी रमाकान्त मिश्रा निवासी ग्राम-ककलपुर, तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना (म0प्र0)

............रेस्पा0गण

श्री विपिन त्रिपाठी अभि० द्वारा आज दि. 1-9-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-9-17
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

अपील अन्तर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0
अपील विरुद्ध प्रकरण क्रमांक-163 आन्तरण/2016-17 आदेश दिनांक 31-08-2017 न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0

महोदय,

अपील के आधार निम्नलिखित हैं:-

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना तथा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मामले में उपस्थित साक्षों का विचार न करते हुये मनमाने तौर पर आवेदन को खारिज कर विधि के मंशा के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के न्यायालय में चल रहे अपील प्रकरण क्रमांक-159/अपील/2015-16 को अन्तरित

रामनरेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/अपील/सतना/भू.रा/2017/3022

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
13-9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विपिन त्रिपाठी उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 का प्र0 क0 163/अन्तरण/16–17 में पारित आदेश दिनांक 31.8.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मामले में उपस्थित साक्षों का विचार न करते हुये मनमाने तौर पर आवेदन को खारिज कर विधि के मंशा के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने येाग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के न्यायालय में चल रहे अपील प्रकरण कमांक 159/अपील/2015–16 को अंतरित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तथा अपील आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय की संपूर्ण आदेश पत्रिका भी न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी। अंत में निवेदन किया गया है कि प्रकरण कमांक 163/अन्तरण/2016–17 अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के	

प्रकरण कमांक 159/अपील/2016–17 का प्रकरण अन्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

3–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण के अंतरण के संबंध में ऐसा कोई प्रमाणित प्रमाणीकरण नहीं प्रस्तुत किया है जिससे से प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में अंतरण किया जावे। अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 163/अंतरण/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.8.17 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य